



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102020-222539
CG-DL-E-17102020-222539

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434]
No. 434]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/ आश्विन 24, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2020

फा. सं. 11023/24/2017-क्यूए.— खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं0फा. सं. 11023/24/2017-क्यूए, तारीख 4 फ़रवरी, 2019 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) संशोधन विनियम, 2019 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को तारीख 8 फ़रवरी, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्तनाम खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) द्वितीय संशोधन विनियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 में,-
(I) विनियम 2.1 के उप-विनियम 2.1.1 और उसके नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,-
“2.1.1 किसी आयातित वस्तु का नमूना प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किसी प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा।”
(II) विनियम 2.2 के उप-विनियम 2.2.2 के खंड 1 और उसके नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,-
“2.2.2 राज्य/संघ शासित क्षेत्र रेफरल प्रयोगशाला खाद्य प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित रेफरल प्रयोगशाला के कार्य करने के लिए प्रयोगशालाओं को प्राधिकृत करेगा।”
(III) विनियम 2.3 में खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,-
“3. खाद्य के नमूने के ऐसे परीक्षण या विश्लेषण के लिए संदेय फीस समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाएगा।”

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा/297/2020-21]

नोट:- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या फा. सं. 2 15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए: -

(i) फा. सं. 4/15015/30/2011, दिनांक 8 फरवरी, 2013 और

(ii) फा. सं. 01/लैब और सैंपल एनालिसिस/रेग/2019, दिनांक 21 जुलाई, 2020।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2020

F.No. 11023/24/2017-QA- Whereas the draft Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Amendment Regulations, 2019, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No. 11023/24/2017-QA, dated the 4th February, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 8th February, 2019;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Second Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011,

(I) in regulation 2.1, for sub-regulation 2.1.1 and table thereunder, following shall be substituted namely:-

“2.1.1 The sample of any imported article will be sent by the Authorised Officer for analysis to the food analyst of any of the laboratories notified by Food Authority under section 43(1) of Food Safety and Standards Act, 2006.”

(II) in regulation 2.2, for clause 1 in sub-regulation 2.2.2 and table thereunder, following shall be substituted namely:-

“2.2.2 State/Union Territory of Referral Laboratory

The Food authority shall authorise laboratories to carry out function of referral laboratory that are notified by Food Authority under section 43(2) of Food Safety and Standards Act, 2006.”

(III) in regulation 2.3, clause 3 shall be substituted with the following, namely-

“3. The fees payable for such test or analysis of sample of food shall be as prescribed by the Food Authority from time to time.”

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/EXTY./297/2020-21]

Note.- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

(i) F.No. 4/15015/30/2011, dated 8th February, 2013 and

(ii) F.No. 01/Lab & sample Analysis/Reg/2019, dated 21st July, 2020.